राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

क्रमांक: प 3(5) वित्त/राजस्व/2019 दिनांक: 29 APR 2019

परिपत्र

विषयः– विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/प्रतियोगी प्रकृति की प्रवेश परीक्षाओं से होने वाली आय राज कोष में जमा कराने बाबत।

प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य के विभिन्न राजकीय/निजी संस्थानों में प्रवेश दिये जाने के लिये परीक्षाओं एवं काउंसलिंग आयोजन हेतु राज्य के विश्वविद्यालयों/राजकीय संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है। वर्तमान में उक्त परीक्षाओं से होने वाली आय की 50 प्रतिशत राशि तक ही संबंधित संस्थान द्वारा राज कोष में जमा करवाई जाने की व्यवस्था है।

उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि:–

1. संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था भविष्य में होने वाली इस तरह की समस्त परीक्षाओं के आयोजन उपरान्त एक माह की अवधि में परीक्षा की संपूर्ण आय राशि (परीक्षा शुल्क – परीक्षा आयोजन पर व्यय) संबंधित प्रशासनिक विभाग के राजस्व मद में जमा कराएगी।

2. संबंधित संस्था/विश्वविद्यालयों को इस आय में से 50 प्रतिशत राशि तक राशि बजटीय प्रावधान से पुनः राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जावें:–

(i) प्रत्येक परीक्षा के लिये संस्थान के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला जायेगा तथा परीक्षा से संबंधित समस्त आय–व्यय रजिस्ट्रार एवं वित्तीय सलाहकार के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा इसी खाते के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

(ii) विश्वविद्यालयों/राजकीय संस्थाओं द्वारा इस तरह की परीक्षाओं के आयोजन से प्राप्त आय (परीक्षा शुल्क – आयोजन पर व्यय) संबंधित अधिकृतकर्ता प्रशासनिक विभाग के राजस्व मद में चालान द्वारा जमा कराई जाएगी।

(iii) प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संबंधित संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा बी.एफ.सी./प्रथम/द्वितीय अनुपूरक की मांग के यथासमय बजट उपमद खुलवाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। 50 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में जारी करने हेतु आय का पूर्ण विवरण देते हुये आवश्यक राशि का प्रावधान वित्त (व्यय) विभाग से सहमति उपरान्त करवाया जाएगा।

(iv) संस्था के द्वारा इस बैंक खाते में प्राप्त फीस/व्यय राशि का अंकेक्षण यथाशीघ्र संपादित कराया जायेगा। अंकेक्षण रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (व्यय) विभाग को प्रेषित की जाएगी। वित्त विभाग की सहमति उपरान्त संबंधित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा संस्था को भुगतान किया जाएगा।

(v) कोई संस्था जो कि बजट नियंत्रण अधिकारी नहीं है, के द्वारा इस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिये संस्था के बजट नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से उक्त प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की जाएगी।

(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानमहालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/अन्य मंत्रीगण।
6. निदेशक, वित्त (बजट), शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त (बजट/व्यय–1/मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त संबंधित संस्थायें, राजस्थान।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव